संख्या– 373/एक–10–2020

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ:दिनांक: 21 जुलाई, 2020

विषय:– प्रदेश स्तर पर स्टेट ऑफ आर्ट प्रबन्धन प्रणाली फ्रेमवर्क एवं आई0टी0 बैकबोन (एस0पी0आर्ट मॉडल) संबंधित यूपीडेस्को के माध्यम से कार्य कर रहे कार्य के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–1474/रा0आ0का0/2020–21, दिनांक 25.06.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 महामारी व अन्य अधिसूचित आपदाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण, रोकथाम एवं बचाव हेतु राहत आयुक्त कार्यलय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र में राज्य स्तरीय इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर (ई0ओ0सी) की क्षमता संवर्धन हेतु यू0पी0डेस्को के माध्यम से संचालित किये जा रहे 24×7 टोल फ्री नम्बर 1070 का कॉल सेन्टर तथा वेबसाइट डेवलपमेन्ट, डाटा एनालिसिस व राहत सम्बन्धी कार्यों का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जन सामान्य में व्यापक प्रचार–प्रसार के कार्यो पर हुए/होने वाले व्यय के भुगतान हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 2,83,49,200/– (दो करोड़ तिरासी लाख उन्चास हजार दो सौ) मात्र की धनराशि अग्रिम रूप से राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) उपरोक्त कार्यो हेतु भुगतान में प्रचलित नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का राहत आयुक्त कार्यालय पर लेखा–जोखा रखा जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–11–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या–373(1)/ एक–10–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
3– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
4– मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल) 17/7
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-22/07/2020

प्रेषण संख्या:- 373
आवंटन आदेश संख्या:- 112-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01- -	वर्तमान प्रगामी	28349200 45660169	28349200 45660169
	योग	वर्तमान प्रगामी	28349200 45660169	28349200 45660169

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ तिरासी लाख उनचास हजार दो सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ छप्पन लाख साठ हजार एक सौ उनहत्तर

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन

<u>संख्या– 366 / एक–10–2020–33(10) / 2020</u>

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊःदिनांकः 21 जुलाई, 2020

विषयः– राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट (rahat.up.nic.in) के संचालन हेतु कम्प्यूटर उपकरणों (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर) के क्रय हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–1443 / रा0आ0का0 / आई0टी0 / 2020–21, दिनांक 19.06.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों द्वारा आपदाओं से क्षति के संबंध में सूचना ऑनलाइन फीड कर करने हेतु राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट (rahat.up.nic.in) के संचालन के लिए कम्पयूटर उपकरणों (हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर) के क्रय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 में **रू0 15,00,000 / – (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ** के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) कम्पयूटर उपकरणों (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर) के क्रय हेतु प्रचलित नियमों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का राहत आयुक्त कार्यालय पर लेखा–जोखा रखा जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग / समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2 / 1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–11–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(संजय गोयल)

सचिव।

<u>संख्या–366(1)/ एक–10–2020–33(10)/2020, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
3– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
4– मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

21.7.20

(राम केवल)

विशेष सचिव।